जवाब
ली 30/5/19
कार्यवाही
जवाब
पेश

फरीकैन
जवाब
उपस्थित
कार्यवाही

मय
फरीकैन
सुनी
04/06/19

सकार
पंत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ (

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म तामील में जा
	अवधि पर हुई पीठासीन अधिकारी ..... पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-7-19 को पेश हो बाबत है .... 15/7/19 पत्रावली पेश हुई। बकलमा पक्षकार उप० । पत्रावली के पूर्व में पेश किये गये जवाब तब दोनों पक्षकारों की सुनी गई बहस के आधार पर यह जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अतः पत्रावली में प्राप्त 212 खातिज किया जाकर पत्रावली मुल वाद के साथ नत्थी किया जावे। फैसला शुमार हो अखबर से कम हो।	